

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2024

विषय:- सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रूO 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-जी-256(1)/दस-2023, दिनांक 21-03-2023 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए तात्कालिक प्रभाव से एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों की जमा सहित कुल अभिदान की सीमा अधिकतम रूO 5 लाख निर्धारित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 21-03-2023 के क्रम में सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 में संगत संशोधन किये जाने हेतु सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली 2023 की अधिसूचना संख्या-7/2023-जी-2-209/दस-2023, लखनऊ दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 जारी कर दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतएव उक्त अधिसूचना संख्या-7/2023-जी-2-209/दस-2023 लखनऊ दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 के प्रकाशित गजट की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त अधिसूचना दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (3) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
- (4) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, द्वारा निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दिनेश बाबू
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 13, 1945 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या 7/2023-जी-2-209/दस-2023
लखनऊ, 4 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना
संशोधन

सा0प0नि0-48

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 21 मार्च, 2023 से प्रवृत्त होगी।

2-सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 7 के उपनियम (1) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम 7 (1)
का संशोधन

“परन्तु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में जमा किये गये बकाये अभिदानों की धनराशि सहित उस वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अभिदानों की राशि नियम 8 के उपनियम (1) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।”

3-उक्त नियमावली में, नियम 8 में;

नियम 8 (1) (4)
का संशोधन

(क) उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में मासिक अभिदानों की राशि आयकर नियम, 1962 के नियम 9 घ के उपनियम (2) के नीचे रखादीकरण के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।"

(ख) उप-नियम (4) में:-

(1) प्रथम परंतुक को निकाल दिया जायेगा;

(2) द्वितीय परंतुक में, शब्द 'और' को हटा दिया जायेगा।

(ग) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम बढ़ा दिया जायेगा.
अर्थात्:-

(5) "उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित या उप-नियम (4) के अधीन घटाये या बढ़ाये गये अभिदान की धनराशि, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत होगी";

नियम 10(3)
का संशोधन

4-उक्त नियमावली में, नियम 10 के उप-नियम (3) में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में अभिदानों के बकाये की धनराशि और उस पर वसूल किये गये ब्याज सहित उस वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अभिदानों की राशि नियम 8 के उप-नियम (1) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट सीमा से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।"

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/2023-G-2-209/X-2023, dated December 4, 2023:

No. 7/2023-G-2-209/X-2023

Dated Lucknow, December 4, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) (AMENDMENT)
RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from 21 March, 2023.

Amendment of rule-7(1)

2. In General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 hereinafter referred to as the said rules in rule 7, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the limit as specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 8."

3. In the said rule in rule 8;

Amendment of
rule 8(1)(4)

(a) in sub-rule (1) the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that the sum of monthly subscriptions in a financial year shall not exceed the threshold limit referred to in sub-clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub-rule (2) of rule 9D of the Income Tax Rules, 1962":

(b) in sub-rule (4),-

(1) The first proviso shall be *omitted*;

(2) In the second proviso, the word 'further' shall be deleted;

(c) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be *inserted*, namely:-

(5) "The amount of subscription fixed under sub-rule (3) or reduced or enhanced under sub-rule (4) shall be subject to the minimum and maximum limits specified in sub-rule (1)":

4. In the said rules in rules 10 in sub-rule (3) the following proviso shall be *inserted*, namely:-

Amendment of
rule 10(3)

"Provided that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with arrears of subscription and the interest thereon recovered in that financial year shall, in no case, exceed the limit as specified in the proviso of the sub-rule (1) of rule 8".

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 802 राजपत्र-2023-(2287)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 15 सा० वित्त-2023-(2298)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

802 RPH 2023 (vitt samanya anu-2) (data 8c)

I/291900/2023

संख्या /जी-2- 256(i) /दस-2023

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 21/03/2023

विषय:- सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रु० 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उप महालेखाकार/फण्ड, कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या-फण्ड-1/टी० एण्ड एन०-टी०/79568 दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में लाते हुए कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9D(2)(C)(i) के प्राविधान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों की जमा सहित वार्षिक अभिदान की सीमा अधिकतम रु० 05 लाख निर्धारित कर दी गयी है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश की जानकारी चाही गयी है क्योंकि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम कार्यालय द्वारा अपने जी०पी०एफ० एप्लीकेशन/डेटाबेस में संशोधन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

2- आयकर नियमावली, 1962 के उपर्युक्त प्राविधान को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गयी है कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए भी तात्कालिक प्रभाव से एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों की जमा सहित कुल अभिदान की सीमा अधिकतम रु० 05 लाख निर्धारित कर दी जाय।

3- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के संगत नियमों में संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

भवदीय,

Signed by प्रशान्त
(प्रशान्त त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव-21/03/2023 17:16:50
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) उप महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-फण्ड-1/टी0 एण्ड एन 0-टी0/79568 दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में।
- (3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।